टीएमसी में विवाद जारी: ममता ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

बागी गुट के दावों पर जल्द जांच की मांग

कोलकाता। ए। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने विरोधी गुटों की तरफ से किए गए दावों पर जल्द से जल्द जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को दो बार समय बढ़ाने की सुविधा दी गई। इसके बाद भी वह जवाब दाखिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उनके गुट ने आयोग की तरफ से 6 जुलाई की समय सीमा के भीतर अपनी राय दे दी थी। विरोधी गुट को पहले 10 फिर 25 जुलाई तक का समय दिया गया था। ममता ने कहा, 'दो बार समय बढ़ाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए माना जा सकता है कि 6 जुलाई 2026 के हमारे पत्र में बताई गईं सारी बातें और बयान मान लिए गए हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।'

बनर्जी ने प्रतिद्वंद्वी गुट पर गंभीर आरोप लगाए

बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विरोधी गुट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके पास किसी तरह का जवाब नहीं है। बनर्जी ने कहा है कि विरोधी गुट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि उनके गुट ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है।

पंजाब में अंदरूनी विवाद के बीच कांग्रेस का नया अभियान

भूपेश बघेल का आज से 10 दिन का पंजाब मिशन, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारियां

चंडीगढ़। ए। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब संगठन को मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल 10 दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे। भूपेश बघेल 30 जुलाई से 8 अगस्त तक पंजाब में रहेंगे। इन 10 दिनों में वे राज्य के सभी जिलों में संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पार्टी का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति का आकलन करना और उसे और मजबूत बनाना है।

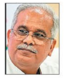

बघेल अपने पंजाब दौरे के दौरान हर जिले में जिला अध्यक्षों के साथ अहम रणनीतिक बैठक करेंगे। बैठक में जिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को धार देने को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा। पंजाब में इस दौरान हर जिले की राजनीतिक और संगठनात्मक रिपोर्ट पर फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में संगठन विस्तार, जनसंपर्क और चुनावी तैयारी पर पूरा फोकस किया जाएगा।

चुनावी मोड की औपचारिक शुरुआत- पंजाब कांग्रेस संगठन के अनुसार, भूपेश बघेल का ये दौरा पंजाब कांग्रेस के लिए चुनावी मोड की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। बघेल गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वह शुक्रवार को फतेहगढ़ साहिब और मोहाली के दौरे पर रहेंगे। फिर एक अगस्त को बघेल पटियाला और संगरूर का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बघेल 2 अगस्त को बरनाला और मनसा जाएंगे तो 3 अगस्त को बठिंडा और मुक्तसर में रहेंगे। फिर 4 अगस्त को वह फाजिल्का और फिरोजपुर, 5 अगस्त को मोगा और फरीदकोट, 6 अगस्त को लुधियाना (शहरी और ग्रामीण), 7 अगस्त को मालेरकोटला और खन्ना तथा 8 अगस्त को एसबीएस नगर और रोपड़ का दौरा करेंगे।

अध्यक्ष पद को लेकर हो गया था विवाद

इससे पहले पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के ऐलान को लेकर अंदरूनी विवाद काफी चरम पर पहुंच गया था. कांग्रेस आलाकमान ने एक जुलाई को ऐलान किया कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद विवाद बढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर इसके खिलाफ सामने आ गए। बघेल की ओर से कई हिदायत देने के बाद चन्नी और उनके ग्रुप के नेताओं ने 16 जुलाई को पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से 3 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। बैठक के बाद चन्नी के तेवर नरम पड़ गए। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर ऑल इज वेल यानी सब ठीक है। पार्टी में सब आलाकमान के साथ है। हमने अपना पक्ष रखा था, ऐसे में हम पार्टी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अब सब ठीक है।

न्यूज डायरी

भदोही का नाम फिर होगा 'संत रविदास नगर': योगी

वाराणसी (उप्र)। ए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घोषणा की कि भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर उठाया गया है, जो समाज सुधारकों व संतों को सम्मान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वाराणसी में भाजपा का समरसता संकल्प अभियान शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यह जिला पूर्व में संत रविदास नगर के तौर पर जाना जाता था और इसे फिर से पुराना नाम दिया जाएगा।

यौन उत्पीड़न का आरोपी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार

हैदराबाद। ए। हैदराबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में एक महिला सह-प्रशिक्षु का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आरोपी प्रशिक्षु अधिकारी को गिरफ्तार कर शहर की एक अदालत में पेश किया गया है। यहां सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी का 'पीछा करने और यौन उत्पीड़न' करने के आरोप में 32 वर्षीय प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 18 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था।

पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज

चेन्नई। ए। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने बुधवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता वी सेंथिल बालाजी और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के पूर्व प्रबंध निदेशक एस विसाकन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। यह मामला बार लाइसेंस आवंटन, परिवहन निविदाओं में कथित अनियमितताओं, खरीद एवं निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर और कुछ डिस्टिलरी एवं बॉटलिंग कंपनियों द्वारा कथित फर्जी एवं बढ़ा-चढ़ाकर किए गए लेनदेन से जुड़ा हुए है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डीवीएसी ने बुधवार को राज्यभर में 45 स्थानों पर छापे मारे, जिनमें चेन्नई के 14 ठिकाने शामिल हैं।

शरद पवार के दांव से कांग्रेस बेचैन, उद्धव सेना हतप्रभ

महाराष्ट्र में सियासत गरमाई, पीएम मोदी से बढ़ रही नजदीकियों से 'इंडिया' गठबंधन चिंतित

मुंबई। एजेंसी। शरद पवार एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति को जोर का झटका देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ वे अपनी और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले दोनों एनसीपी गुटों के एक होने की अटकलों को लगातार खारिज कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है। इससे कांग्रेस, उद्धव सेना और पूरे इंडी गठबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। सवाल यह नहीं है कि पवार किससे मिल रहे हैं, बल्कि यह है कि आखिर उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा ? इधर, भाजपा महाराष्ट्र में अपनी मराठा राजनीति को मजबूत करते हुए संसद में डीलिमिटेशन बिल को पास कराने में पवार सहित अन्य छोटे दलों का समर्थन लेने की कोशिश में है और उसमें शरद पवार ही बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

पीएम से फिर मिलेंगे शरद पवार- शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री मोदी से 22 जुलाई को मिले थे। दिलचस्प बात यह रही कि इस मुलाकात से पहले दोनों ने जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्रों से भी भेंट की। अब खबर है कि पवार एक बार फिर प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इस बार बहाना बारामती में आमंत्रण का है, लेकिन राजनीति में बहानों के पीछे छिपे संकेतों को समझने की कोशिशें तेज हो गई हैं।

राजनीति गलियारे में क्या चर्चा?

उल्लेखनीय है कि शरद पवार ने हमेशा सत्ता और विपक्ष, दोनों से संवाद बनाए रखा है। यही कारण है कि उनके हर कदम को लेकर अटकलें लगती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केवल पवार ही जानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी मानी जाती है। दूसरी ओर, कांग्रेस और उद्धव सेना के लिए शरद पवार की यही राजनीतिक शैली सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि पवार के किसी भी अप्रत्याशित कदम का सीधा असर महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन की राजनीतिक एकजुटता पर पड़ सकता है।

किसे लाभ और किसे नुकसान

फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन शरद पवार एक बार फिर केंद्र से लेकर प्रदेश दोनों की सियासत के केंद्र में हैं। पीएम मोदी से उनकी बढ़ती नजदीकियां, हर बयान और हर चुप्पी राजनीतिक संदेश बन रही है। ऐसे में, सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस और उद्धव सेना की यही है कि वे न तो पवार से दूरी बना सकते हैं और न ही उनके अगले कदम का भरोसेमंद अनुमान लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरद पवार अगली चाल किस दिशा में चलेंगे और उसका राजनीतिक लाभ आखिर किसे मिलेगा।

पीएम मोदी को देंगे न्योता- बारामती स्थित 'विद्या प्रतिष्ठान' के ट्रस्टियों ने शरद पवार से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संस्थान के नए 'प्रेरणा स्थल' डोम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करें। पवार ने ट्रस्टियों को भरोसा दिलाया है कि वे प्रधानमंत्री से समय लेकर उनकी भावनाओं से अवगत कराएंगे और औपचारिक निमंत्रण देंगे। लेकिन इस प्रस्तावित मुलाकात के राजनीतिक मायने सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने तरीके से तलाश रहे हैं।

शरद पवार की क्या योजना?- राजनीति के जानकारों का कहना है कि शरद पवार स्वयं को ऐसे नेता के रूप में स्थापित रखना चाहते हैं, जो सत्ता और विपक्ष दोनों से समान दूरी और समान निकटता बनाए रख सकें। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन परिहार कहते हैं कि है कि संवाद की यह राजनीति पवार की सौदेबाजी की क्षमता को मजबूत करती है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखती है। कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षक संदीप सोनवलकर का कहना है कि परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पवार का अंतिम रुख क्या होगा, इसका स्पष्ट अनुमान लगाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यही अनिश्चितता सबसे अधिक बेचैन कर रही है। वे कहते हैं कि पवार की अन्य दलों से बातचीत की क्षमता ने ही उनको इस दौर की धुरी में खड़ा किया है।

राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास, अपमान पर 3 वर्ष जेल

संवाद न्यूज एजेंसी। नई दिल्ली।

राज्यसभा में बुधवार को कार्यवाही के दौरान नारेबाजी करते विपक्षी सदस्य।

राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत अब वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। विधेयक में वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह विधेयक राष्ट्र के अपमान विधेयक 1971 में संशोधन है। इससे वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह की संरक्षण मिलेगा, इसकी जानबूझकर अवहेलना करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी।

सदन के विधायी कार्यों में सहयोग करेगा विपक्ष

राज्यसभा में पिछले कई दिनों से जारी गतिरोध बुधवार को टूट गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संयुक्त विपक्ष की बैठक में तय किया गया कि वह विधायी कार्यों में सहयोग करेगा। विपक्ष ने कहा कि वह विधायी कार्यों छोड़कर अपना असहयोग जारी रखेगा। वंदे मातरम बिल पास होने के बाद कार्यवाही बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, संयुक्त विपक्ष अब केवल पेपर लीक संशोधन विधेयक पर ही चर्चा में भाग लेगा।

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा, राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, जिन्होंने अब तक राष्ट्रगान और तिरंगे का अपमान किया है, वही यह बिल लेकर आए हैं।

जन्म-मृत्यु का पंजीकरण देर से कराने पर नियम होंगे और सख्त

लोकसभा में हंगामे के बीच पेश हुआ संशोधन विधेयक

नई दिल्ली। देश में जन्म और मृत्यु का देर से पंजीकरण कराने के नियम और सख्त करने के लिए सरकार ने बुधवार को लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2026 पेश किया। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक सदन में रखा। विधेयक के अनुसार, अगर जन्म या मृत्यु की सूचना दो साल से अधिक देरी से दी जाती है, तो अब पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इससे लोग समय पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराएंगे। मौजूदा नियमों के तहत एक साल से अधिक और दो साल तक की देरी होने पर जिलाधिकारी (डीएम), उप मंडलाधिकारी (एसडीएम) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से पंजीकरण कराया जा सकता है।

बांकीपुर, मंजलपुर, दतिया विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव

नई दिल्ली। ए। 30 जुलाई को देश के तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की हाई-प्रोफाइल सीट बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर सीट और मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा सीट शामिल है। इसमें बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जहां गुरुवार को मतदान होगा।

राजेश खन्ना के पूर्व बंगले को 'भूतिया' बताने पर रोक

बंबई उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

मुंबई। ए। बंबई उच्च न्यायालय ने मीडिया संगठनों और ऑनलाइन मंचों को बांद्रा स्थित 'आशीर्वाद' बंगले को 'शापित', 'भूतिया' या 'मनहूस' बताने से रोक दिया है। यह बंगला एक समय दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्वामित्व में था। न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर ने 24 जुलाई को पारित एक अंतरिम आदेश में कहा कि इस तरह के वर्णन प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण एवं सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कुछ साल पहले इस प्रतिष्ठित बंगले को खरीदने वाले कारोबारी शशि शेट्टी ने अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर कई लेख, पोस्ट और वीडियो मिले, जिनमें इस संपत्ति को 'भूतिया', 'शापित' और 'अपशकुनी' बताया गया था। शेट्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि मूल बंगले को गिराकर नया मकान बनाया गया है, लेकिन उसका नाम नहीं बदला गया है।

तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़ने के खिलाफ कर्नाटक में प्रदर्शन तेज

बेंगलुरु। ए। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के कर्नाटक को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने के निर्देश के खिलाफ बुधवार को कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यह आंदोलन अभी शुरुआत है और यदि राज्य सरकार तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विपक्षी भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कावेरी मुद्दे से निपटने में विफल रही है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय - बिलासपुर, प्रथम तल, टीआर कॉम्प्लेक्स, राजकिशोर नगर शाखा, लिंगियाडीह, बिलासपुर- 495006 (छ.ग.), फोनः 07752-310229/ 310231, E-mail: recovery.bilaspur@bankofbaroda.com

ई-नीलामी विक्रय सूचना

परिशिष्ट - IV क (नियम 6(2) एवं 8(6) का परन्तुक देखें) अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूत-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के नीचे दी गई शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित वर्णित ऋणियों से **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 08/09/2026, दोपहर 2.00 से शाम 6.00 बजे।

क्र.	ऋणी/जमानतदार/ बंधक का नाम	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भार सहित यदि कोई	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड वृद्धि	आधिपत्य व प्रकार (सांकेतिक /भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
01	**श्रीमती प्रियंका दुलानी पति स्व. श्री हरीश कुमार दुलानी,** पताः मकान नं. 246, वार्ड नं. 06, नई सब्जी मंडी के पास, मनेंद्रगढ़, एमसीबी, छत्तीसगढ़- 497442	श्रीमती प्रियंका दुलानी पति स्व. श्री हरीश कुमार दुलानी के नाम पर खसरा नं. 438/99 एवं 441/4 का भाग, प.ह.नं. नं. 109, ग्राम- पांडरी तराई, शंकर नगर, वार्ड नं. 31, रायपुर में स्थित मौजूद आवासीय फ्लैट नं. 209 (दूसरी मंजिल, वेलकम हाइट्स) का साम्यिक बंधक। **चौहदीः उत्तर-** आस्था अपार्टमेंट एवं विक्रेता की संपत्ति, **दक्षिण-** सड़क एवं पाठक की जमीन, **पूर्व-** शमशान घाट की दीवार, **पश्चिम-** सड़क एवं अन्य की जमीन।	₹ 13,81,161.49 + ब्याज + अन्य शुल्क	₹ 19,00,000/- ₹ 1,90,000/- ₹ 10,000/-	भौतिक कब्जा	दिनांक 04/09/2026 दोपहर 01.00 से 04.00 बजे

विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। साथ ही, इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से (077) 52310231/ (+91) 6232927350 पर संपर्क कर सकते हैं।
दिनांकः 29.07.2026, स्थानः मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

Sr.No.	Title and Tender ID No.	Bid Due Date	Bid Opening Date
01	Establishment of Chhatrapati Sambhajinagar Zoo - Supply of Trees for Plantation (SH: Horticulture Works) 2026_ASCDC_1322828_1	05 August 2026	07 August 2026 16:00 hrs.

The tender document can be downloaded from https://www.mahatenders.gov.in
Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय - बिलासपुर, प्रथम तल, टीआर कॉम्प्लेक्स, राजकिशोर नगर शाखा, लिंगियाडीह, बिलासपुर- 495006 (छ.ग.), फोनः 07752-310229/ 310231, E-mail: recovery.bilaspur@bankofbaroda.com

ई-नीलामी विक्रय सूचना

परिशिष्ट - IV क (नियम 6(2) एवं 8(6) का परन्तुक देखें) अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूत-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के नीचे दी गई शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित वर्णित ऋणियों से **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 25/08/2026, दोपहर 2.00 से शाम 6.00 बजे।

क्र.	ऋणी/जमानतदार/ बंधक का नाम	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भार सहित यदि कोई	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड वृद्धि	आधिपत्य व प्रकार (सांकेतिक /भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
01	**ऋणीः मेसर्स गरुडेक्स ड्रोन, प्रो. श्री अंकित अग्रवाल, पताः** वार्ड नं.-01, हमालपारा, मदनपुर रोड, खरसिया, रायगढ़ (छ.ग.)-496661 **ऋणीः श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री अरुण कुमार अग्रवाल, पताः** मकान नं. 6/109, वार्ड नं.-13, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया, रायगढ़ (छ.ग..)-496661, **गारंटरः श्री अमर अग्रवाल पुत्र श्री अरुण कुमार अग्रवाल,** मकान नं.- 6/109, वार्ड नं.-13, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, खरसिया, रायगढ़ (छ.ग.)-496661	भूमि ख.नं. 327/3, ग्राम- नवापारा टेंडा, पी.सी. नं. 20, तहसील- घरघोड़ा, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) क्षेत्रफल 0.467 हेक्टेयर (वाणिज्यिक प्रयोजन) में स्थित डायवर्टेड भूमि। **चौहद्दी चिन्हः पूर्व-** सीताराम व अन्य की भूमि, **पश्चिम-** नारायण अग्रवाल व नटवर मित्तल व अन्य की भूमि, **उत्तर-** पक्की सड़क, **दक्षिण-** कुआरो व अन्य की भूमि।	₹ 49,75,077.19 + ब्याज + अन्य शुल्क	₹ 85,50,000/- ₹ 8,55,000/- ₹ 10,000/-	भौतिक कब्जा	दिनांक 20/08/2026 दोपहर 01.00 से 04.00 बजे

विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। साथ ही, इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से (077) 52310231/ (+91) 6232927350 पर संपर्क कर सकते हैं।
दिनांकः 29.07.2026, स्थानः खरसिया (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड Aavas SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तों व सपठित नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना
आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात जो कि आगे AFL सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को ''जैसे है जहां है'' एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र, संपत्ति विजिट दिनांक व समय
खाता सं. : LNBIL02221-220191214 धर्मेशसिंह राजपूत, दीपा सिंहराजपूत	₹ 1510842/- बकाया दिनांक 27 जुलाई 2026	07 अक्टूबर 2024 ₹ 1311750/- बकाया दिनांक 04 अक्टूबर 2024	19 जनवरी 2026	मौजा-परसादा, परसाद मुख्य पुरानी कॉलोनी के पास, पी.सी. नं. 39, कोएच नं. 609/10, आरएनएम-बिलासपुर, विकासखण्ड-बिल्हा तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ (भारत)- पिन-495003/ क्षेत्रफल 2180 वर्ग फीट	₹ 1766520/-	₹ 176652/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 31 अगस्त 2026	30 अगस्त 2026 तक या इससे पहले	बी-206, दूसरी मंजिल, श्री नारायण प्लाजा, लिंक रोड, मोतीलाल खुराना पेट्रोल पम्प के पास, बिलासपुर-495001, छत्तीसगढ -भारत	अमित साहू- 7374002263 सम्पत्ति का दौरा करने की दिनांक 29 अगस्त 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक

ई–निलामी बिक्री के नियम और शर्तेंः–
(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई–नीलामी बिक्री AFL सुरक्षित लेनदार द्वारा ''जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और'' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई–निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, जो आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से देय है, चालू खाता संख्या 00548470000107 AAAVAS FINANCIERS LIMITED पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर – 302020 IFSC कोड : HDFC0000054 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी auction@aavas.in पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं. भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई–निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://aavas.in/sarfaesi-sale-notices अवश्य देखें। ई–नीलामी, सहायता प्रक्रिया, ऑनलाईन प्रशिक्षण और अधिक जानकारी के लिए ई–मेल auction@aavas.in व ramprasad@auctiontiger.net, मोबाईल नं. 8000023297 पर सम्पर्क करें। (आवास सम्पर्क सूत्र: अमित साहू– 7374002263, मोहम्मद कलीम–7849821425)
नोटः– यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।
स्थान : छतीसगढ़ दिनांक: 30.07.2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड